भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 482

जिसका उत्तर दिनांक 06.02.2020 को दिया जाना है

भारत में नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

482. डॉ. सस्मित पात्रा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस संबंध में कानूनी राय मांगी है; और

(ग) यदि इसके समर्थन में विचार किया जा रहा है, तो सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (ग) जी, नहीं । वर्तमान नीति (सरकार की समेकित एफडीआई नीति) परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है । तथापि, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और अन्य संबद्ध सुविधाओं के लिए उपकरण के विनिर्माण करने और अन्य आपूर्तियाँ उपलब्ध कराने के लिए नाभिकीय उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

*****